



# International Centre for Information Systems & Audit

International Training Centre of Comptroller & Auditor General Of India  
www.cag.gov.in/icisa/en

निविदा सूचना- अनुबंध के आधार पर iCISA, A-52, सेक्टर 62, इंस्टीट्यूशनल एरिया, फेज-II, नोएडा-201309, उत्तर प्रदेश के उपयोग के लिए बस सेवाओं को किराए पर लेने के लिए।

संदर्भ: 34/आई सी आई सा /अपग्रेडेशन /2011-12 से 2016-17/VOL.II/115

दिनांक 16-08-2024

महानिदेशक, आईसीसा, नोएडा की ओर से मुहरबंद एकमुश्त निविदाएं अनुभवी फर्मों से आमंत्रित की जाती हैं:

| कार्य का नाम  | खाली निविदा जारी करने की तिथि                       | निविदा प्रस्तुति की अंतिम तिथि |
|---|---|--------------------------------|
| अनुबंध के आधार पर आईसीसा, नोएडा के उपयोग के लिए स्थानीय उपयोग के लिए बस सेवाओं की आपूर्ति | 16/08/2024 से 22/08/2024 तक<br>अपराह्न 03.00 बजे तक | 22/08/2024 शाम 5.00 बजे तक     |

1. उपरोक्त कार्य के लिए खाली निविदा दस्तावेज (गैर-हस्तांतरणीय) 16/08/2024 से 22/08/2024 तक महानिदेशक, आईसीआईएसए, ए-52, सेक्टर 62, संस्थागत क्षेत्र, चरण - 11, नोएडा-201309, उत्तर प्रदेश के कार्यालय से कार्य दिवसों पर जारी किए जाएंगे। इच्छुक निविदाकर्ता वेबसाइट: www.icisa.cag.gov.in पर उपलब्ध पूर्ण निविदा दस्तावेज भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसे प्रस्तुत करने की नियत तारीख और समय पर या उससे पहले सहायक दस्तावेजों के साथ जमा कर सकते हैं।

2. इच्छुक निविदाकर्ताओं के पास लागू वैधानिक करों के लिए उपयुक्त अधिकारियों के साथ वैध पंजीकरण होना चाहिए।

3. विधिवत भरे गए निविदा दस्तावेज महानिदेशक, आईसीआईएसए, ए-52, सेक्टर 62, संस्थागत क्षेत्र, फेज-II, नोएडा-201309, उत्तर प्रदेश के कार्यालय में 22/08/2024 तक 5.00 बजे तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। फर्मों से प्राप्त निविदाओं की तकनीकी बोली 23/08/2024 को पूर्वाह्न 11.00 बजे खोली जाएगी। वित्तीय बोलियों को अंतिम रूप देना भी उसी दिन यानी 23/08/2024 को पूरा किया जाएगा।

4. दो बोली प्रणाली का पालन किया जाएगा। तकनीकी और वित्तीय बोली के लिए दो अलग-अलग लिफाफे वाली मुहरबंद लिफाफे प्रस्तुत किया जाना है। लिफाफे पर तकनीकी बोली और वित्तीय बोली लिखा जाना है।

5. तकनीकी रूप से योग्य फर्मों की मूल्य बोलियों को खोलने की सूचना 23/08/2024 को वित्तीय बोलियों को अंतिम रूप देने के साथ उसी दिन यानी 23/08/2024 को दी जाएगी।

6. निविदा के संबंध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रचार करना सख्ती से प्रतिबंधित है और प्रचार का सहारा लेने वाले ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत निविदा को सरसरी तौर पर अस्वीकार किया जा सकता है।

7. आईसीसा के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है और सबसे कम निविदा स्वीकार करने के लिए भी बाध्य नहीं है। जिन निविदाओं में किसी भी निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं किया गया है या किसी भी संबंध में अपूर्ण पाया गया है, उन्हें अस्वीकार किया जा सकता है।

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी,  
आईसीआईएसए, ए-52, सेक्टर 62,  
संस्थागत क्षेत्र, चरण-II,  
नोएडा-201309, उत्तर प्रदेश।

संदर्भ: - 34/ICISA/अपग्रेडेशन/2011-12 से 2016-17/Vol.II/

दिनांक 16/08/2024

मैसर्स .....

विषय: अनुबंध के आधार पर iCISA, A-52, सेक्टर 62, इंस्टीट्यूशनल एरिया, फेज-II, नोएडा-201309, उत्तर प्रदेश के उपयोग के लिए बस सेवाओं को किराए पर लेने के लिए।

महोदय,

उपर्युक्त कार्यों के संबंध में निविदा दस्तावेज इसके साथ अग्रेषित किए जा रहे हैं। कृपया ध्यान दें कि निविदाये महानिदेशक, आईसीआईएसए, ए-52, सेक्टर 62, संस्थागत क्षेत्र, चरण II, नोएडा-201309, उत्तर प्रदेश के कार्यालय में 22-08-2024 को या उससे पहले शाम 5.00 बजे तक अग्रेषित की जानी चाहिए है।

निविदा पर अधिकृत व्यक्ति के प्रत्येक पृष्ठ पर दिनांक के साथ हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

कंपनी/फर्म की ओर से या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से निविदा पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति, कंपनी/फर्म द्वारा उसके पक्ष में विधिवत निष्पादित अपेक्षित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टॉप पेपर पर उचित प्राधिकारी/पावर ऑफ अटॉर्नी की प्रमाणित प्रति निविदा के साथ संलग्न करेगा और विशेष रूप से यह बताना होगा कि उसके पास ऐसे व्यक्ति या कंपनी/फर्म के लिए और उसकी ओर से, जैसा भी मामला हो, और अनुबंध से संबंधित सभी मामलों में ऐसी निविदाओं पर हस्ताक्षर करने का अधिकार है।

यह पत्र अनुबंध का हिस्सा होगा और निविदा दस्तावेजों के साथ हस्ताक्षरित करके वापस किया जाना होगा।

संलग्न: बस सेवा किराए पर लेने के लिए नियम और शर्तों के साथ निविदा सूचना।

बिडर के हस्ताक्षर

## बस सेवा किराए पर लेने के लिए नियम और शर्तें

### प्रस्तावना

आईसीसा, खरीद दार, इस दस्तावेज़ में काम के परिभाषित दायरे के अनुसार बस सेवाओं को किराए पर लेने का इरादा रखता है। सेवाओं को निम्नलिखित अवधि के लिए किराए पर लिया जा सकता है:

- 01<sup>st</sup> सितम्बर 2024 से 31 दिसम्बर 2024 तक की अवधि।

### दायरा

सेवा प्रदाता इस खंड में परिभाषित दायरे के तहत सेवाएं प्रदान करेगा। तदनुसार, निम्नलिखित आधार के लिए किराए पर परिवहन सेवाओं की आवश्यकता है:

### आगरा दौरा

| किराए पर ली जाने वाली बस  | बैसिक सर्विस विवरण  |
|---|---|
| एनसीआर से बाहर भ्रमण के लिए 43-45 सीटर एसी बस (वॉल्वो)<br>बिना टॉइलेट फैसिलिटी के साथ | सभी समवेशी दरो के साथ<br><br>1. आगरा भ्रमण के लिए (उसी दिन वापसी) |

### आईसीसा की बाध्यताएं

1. आईसीसा, खरीदार, किराए की बस की अनुसूची में किसी भी बदलाव के बारे में सेवा प्रदाता को सूचित करेगा। ओर परिवर्तन से 12 घंटे पहले अधिसूचना प्रदान की जाएगी।

2. आईसीसा सेवा प्रदाता द्वारा जमा करने के बाद अधिकतम 7 दिनों के भीतर लॉगबुक प्रविष्टियों/बिल को स्वीकार या अस्वीकार या संशोधित करेगा।

### सेवा प्रदाता के दायित्व

1. सेवा प्रदाता इस दस्तावेज़ में उल्लिखित गुणवत्ता सेवाएं प्रदान करने के लिए सहमत है।

2. सेवा प्रदाता यह सुनिश्चित करेगा कि आईसीसा द्वारा प्रदान की गई अनुसूची के अनुसार सौंपे गए वाहन और ड्राइवर रिपोर्ट, 15 मिनट से अधिक के आगमन में देरी की स्थिति में, आईसीसा/आईएसए को अन्य बस सेवाओं को किराए पर लेने का अधिकार होगा (जो समान किराए की बस श्रेणी का हो सकता है या नहीं हो सकता है)। किराया शुल्क सेवा प्रदाता से लिया जाएगा।

3. सेवा प्रदाता अनुबंध के नियमों और शर्तों से सहमत है और उनका पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

4. सेवा प्रदाता यह सुनिश्चित करेगा कि तैनात वाहन समय पर और ईंधन के पूर्ण टैंक के साथ निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचेगा।

5. सेवा प्रदाता को शहर या शहरों में प्रवेश को विनियमित करने के लिए सभी अनिवार्य अनुमति प्राप्त कर लेनी होगी, जैसा भी मामला हो।

6. वाहनों के किसी भी ब्रेक डाउन, सर्विसिंग और मरम्मत की स्थिति में, सेवा प्रदाता अपनी लागत पर वाहन (ओं) के समान या उच्च वर्ग प्रदान करके वैकल्पिक व्यवस्था करेगा, जिसके लिए समझौता किया गया है। ऐसा करने में विफलता से जुर्माना या अनुबंध की संभावित समाप्ति हो जाएगी।

7. सेवा प्रदाता को अनुबंध को उप-किराए पर देने की अनुमति नहीं होगी। सेवा प्रदाता वाहनों/व्यक्तिगत ड्राइवरों के समूहक के रूप में कार्य कर सकता है। हालांकि, यह सेवा प्रदाता है जो अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जाने के लिए खरीदार के प्रति जिम्मेदार होगा।

8. सेवा प्रदाता केवल ऐसे वाहन प्रदान करेगा जिनके पास कोम्प्रहेंसिव बीमा होना चाहिए।

## तैनात ड्राइवर/स्टाफ

सेवा प्रदाता निम्नलिखित सहित वाहनों के ड्राइवरों के कार्य और कर्म के लिए जिम्मेदार होगा

1. ड्राइवर किसी भी स्थिति में नशे की हालत में ड्यूटी पर रिपोर्ट नहीं करेगा या ड्यूटी पर रहते हुए शराब का सेवन नहीं करेगा। इस तरह के मामलों को कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सूचित किया जाएगा और समझौते को समाप्त करने के लिए उत्तरदायी है।
2. उपयोगकर्ता विभाग के कर्तव्यों के लिए तैनात वाहनों के ड्राइवर/कर्मचारी विभाग के उपयोगकर्ताओं के साथ-साथ अन्य विभागीय कर्मचारियों के प्रति विनम्र व्यवहार बनाए रखना है।
3. चालक को एक कार्यशील मोबाइल फोन प्रदान किया जाना चाहिए और उपयोगकर्ता को विभाग से संपर्क करने के लिए विभाग को संपर्क नंबर प्रदान किया जाना चाहिए।
4. ऐसी स्थिति में कि किसी भी कारण से चालक अनुबंध की अवधि के दौरान अपना संपर्क नंबर बदलता है तो सेवा प्रदाता तुरंत उपरोक्त परिवर्तन के उपयोगकर्ता विभाग को सूचित करेगा।
5. ड्यूटी के घंटों के दौरान चालक हमेशा पहुंच योग्य रहेगा।
6. केवल उन्हीं ड्राइवरों को सेवा प्रदाता द्वारा तैनात किया जाएगा जिनके पास भारी वाहनों के लिए वैध वाणिज्यिक ड्राइविंग लाइसेंस है।
7. ड्राइवर को साफ-सुथरी पोशाक पहनी जानी चाहिए।
8. उपयोगकर्ता विभाग के उपयोगकर्ताओं/कर्मचारियों से उनके व्यवहार/वर्दी के संबंध में किसी भी शिकायत को गंभीरता से लिया जाएगा और इसे सेवा प्रदाता के ध्यान में लाया जाएगा, जो उपयुक्त कार्रवाई करेगा।
9. चालक को मार्गों से परिचित होना चाहिए।
10. चालक के साथ एक सहायक/कंडक्टर तैनात किया जाना चाहिए।
11. चालक और कंडक्टर दोनों के पास आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस आदि जैसे वैध फोटो पहचान प्रमाण होना चाहिए।

## सांविधिक विधि और विनियम

1. सेवा प्रदाता उपयोगकर्ता विभाग की आवश्यकता के लिए विस्तृत वाहनों के तीसरे पक्ष के असीमित देयता जोखिम के साथ व्यापक बीमा कवर लेगा। सेवा प्रदाता के वाहन की तैनाती से उत्पन्न होने वाली किसी दुर्घटना के कारण सार्वजनिक संपत्ति और/या किसी तीसरे व्यक्ति को होने वाली किसी भी क्षति के लिए उपयोगकर्ता उत्तरदायी नहीं होगा।
2. सेवा प्रदाता वाहन के चालक द्वारा दुर्घटना के कारण या अन्यथा किसी भी चोट के लिए वाहन में यात्रा करने वाले किसी भी तीसरे पक्ष और/या उपयोगकर्ता विभाग के कर्मचारियों द्वारा किसी भी दावे के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।
3. प्रयोक्ता विभाग या तो वाहन के चालक या सेवा प्रदाता द्वारा किसी भी तरह से यातायात नियमों के उल्लंघन और/या किसी अन्य कानून के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। चालक के साथ-साथ सेवा प्रदाता अनुबंध की अवधि के दौरान वर्तमान में या भविष्य में लागू मोटर वाहन अधिनियम और नियमों के प्रासंगिक नियमों और विनियमों का पालन करेगा और समय-समय पर लागू किया जा सकता है, जिसके लिए उपयोगकर्ता विभागों को उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। किसी भी तरह से जिम्मेदार / जिम्मेदार मोटर वाहन अधिनियम/नियमों के तहत उन सहित सभी लागू कानूनों/अधिनियमों/नियमों के अनुपालन की जिम्मेदारी केवल सेवा प्रदाता के पास होगी और उपयोगकर्ता/उपयोगकर्ता विभाग किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं होंगे।
4. सेवा प्रदाता श्रम कानून (केंद्र/राज्य) और विशेष रूप से न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, मजदूरी भुगतान अधिनियम, पीएफ, ईएसआई अधिनियम, बोनस भुगतान अधिनियम, अनुबंध श्रम (आर एंड ए) से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा। अधिनियम, कर्मकार मुआवजा अधिनियम आदि, जैसा कि समय-समय पर लागू होता है। सेवा प्रदाता के कर्मचारियों को उपयोगकर्ता विभाग का कर्मचारी नहीं माना जाएगा, इसलिए लागू अधिनियमों / कानूनों का अनुपालन सेवा प्रदाता की एकमात्र जिम्मेदारी होगी।
5. सेवा प्रदाता अपने द्वारा प्रदान किए गए ड्राइवरों की ओर से किसी भी चोरी, कदाचार और/या अवज्ञा के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा।

6. अनुबंध की अवधि के दौरान, यदि वाहन को पुलिस/मोटर वाहन प्राधिकरण या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा सेवा प्रदाता के जोखिम पर किसी भी कारण से जब्त या हिरासत में लिया जाता है या मांग की जाती है। साथ ही, सेवा प्रदाता द्वारा समान या उच्च श्रेणी का वैकल्पिक वाहन बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के प्रदान किया जाएगा

7. प्रयोक्ता विभाग के लिए ड्यूटी के लिए तैनात बसें किसी भी समय उपयोगकर्ता विभाग द्वारा अधिकृत कर्मियों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को नहीं ले जाएंगी। सेवा प्रदाता को अपने ड्राइवरों जैसे कि ओवर स्पीडिंग, रैश ड्राइविंग और बिना ब्रेक / दोषपूर्ण ब्रेक के ड्राइविंग वाहन द्वारा लापरवाही से ड्राइविंग से बचकर यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी।

8. प्रत्येक वाहन के लिए अलग शुल्क पची रखी जाएगी, जिस पर उपयोगकर्ता विभाग के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। प्रत्येक बस को ड्यूटी के लिए आवंटित करने से पहले, ड्राइवर द्वारा ओडोमीटर रीडिंग को नोट किया जाएगा और बाद में शुरुआती समय/समापन समय, विजिट किए गए स्थानों आदि के लिए प्रविष्टियां दर्ज की जाएंगी। कार्यालय समय के दौरान और ड्यूटी पूरी होने के बाद प्रत्येक ड्यूटी के लिए, ड्राइवर फिर से ओडोमीटर रीडिंग को नोट करेगा और उपयोगकर्ता विभाग के प्रशासन द्वारा तैनात वाहन के उपयोगकर्ता द्वारा इसकी जांच और हस्ताक्षर करवाएगा। प्रत्येक वाहन की ड्यूटी पची के आधार पर, सेवा प्रदाता प्रत्येक वाहन के मासिक चलने और ड्यूटी स्लिप की मूल प्रतियों के समेकित विवरण के साथ मासिक बिल तैयार करेगा।

9. सेवा प्रदाता दिल्ली मोटर वाहन नियम, 1993 (आज तक संशोधित) और ड्राइवरों को फोटो पहचान पत्र के अनुसार अपनी लागत पर उचित वर्दी और बैज प्रदान करेगा।

10. सरकार के विकल्प पर प्रयोक्ता सेवा प्रदाता वाहन ट्रेकिंग सिस्टम प्रदान करेगा और रिकॉर्ड (मील के साथ पिकअप समय और ड्रॉप समय सहित यात्रा का डेटा) प्रस्तुत करेगा। माइलेज काउंट पिकअप के स्थान से शुरू होगा और गैरज से पिकअप प्वाइंट तक कोई अतिरिक्त किलोमीटर नहीं दिया जाएगा।

11. सेवा प्रदाता अपने मासिक बिलों को उपयोगकर्ता को पिछले महीने प्रदान की गई सेवा के लिए तीन प्रतियों में प्रस्तुत करेगा। भुगतान सभी प्रकार से पूर्ण सहायक दस्तावेजों के साथ बिलों की प्राप्ति की तारीख से 3 सप्ताह के भीतर ECS/RTGS के माध्यम से सेवा प्रदाता के बैंक खाते में क्रेडिट होगा। सेवा प्रदाता को बैंक खाता संख्या, और बैंक के अन्य विवरणों को सूचित करना होगा ताकि उपयोगकर्ता विभाग सीधे खाते में भुगतान जमा करने में सक्षम हो सके। उपयोगकर्ता विभाग विक्रेता को एक चालान पर सभी राशियों का भुगतान करेगा जो विभाग के एक वैध चालान की प्राप्ति के 3 सप्ताह के भीतर एक वास्तविक विवाद का विषय नहीं है जो इस समझौते के संदर्भ में सभी भौतिक मामलों में अनुपालन करता है, भुगतान किसी भी कटौती के अधीन होगा जैसे जुर्माना, वैधानिक कटौती आदि।

#### सुविधा के लिए सेवाओं का समापन

1. या तो पक्ष, खरीदार या सेवा प्रदाता, अपनी आपसी सहमति से अन्य पार्टी को 2 महीने पहले नोटिस प्रदान करने के बाद इस अनुबंध को समाप्त कर सकते हैं।

2. दोनों पक्षों की सुविधा के लिए सेवाओं की समाप्ति पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा या नोटिस अवधि सहित समाप्ति के समय तक उठाए गए चालान के भुगतान के अलावा किसी भी अतिरिक्त भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

#### भुगतान की शर्तें

1. भुगतान आम तौर पर बिल प्राप्त होने के 15 कार्य दिवसों के भीतर विक्रेता को किया जाएगा।

2. सेवा प्रदाता समझता है कि उसके द्वारा उद्धृत दर में शामिल हैं: -

क) ईंधन की लागत

ख ) रात की सेवाओं के मामले में रात का शुल्क

ग) चालक शुल्क यदि कुछ है तो

घ) जीएसटी

ड) राज्य शुल्क यदि कुछ है तो

इसके अलावा, निम्नलिखित घटनाओं को अनुबंध के उल्लंघन के रूप में माना जाएगा और इसके परिणामस्वरूप सेवाओं की तत्काल समाप्ति होगी

- ए) तैनात वाहनों के अमान्य पंजीकरण कागजात।
- बी) जोखिम की असीमित देयता के साथ व्यापक बीमा कवरेज के बिना या समाप्त हो चुके वाहनों का संचालन।
- ग) ओडोमीटर के साथ छेड़छाड़
- घ) सेवा से संबंधित दस्तावेज बनाने का कोई भी प्रयास

दस्तावेज की समाप्ति

फॉर्म-1 तकनीकी बिड

बस की सेवाएं प्रदान करने के लिए बिडर प्रोफ़ाइल

| क्र.सं | ट्रैवल एजेंसी का विवरण   |  |
|--------|--|--|
| 1      | ट्रैवल एजेंसी का नाम   |  |
| 2      | पंजीकरण संख्या   |  |
| 3      | पैन नंबर   |  |
| 4      | जीएसटी पंजीकरण संख्या:   |  |
| 5      | ट्रैवलर एजेंसी का पता (फोन/मोबाइल नंबर/ईमेल के साथ)  |  |
| 6      | ग्राहकों की सूची (वर्तमान और पिछले) अर्थात<br>दिए गए वर्षों में सेवाओं का अनुभव<br>सरकार/अर्ध सरकार/पीएसयू |  |
| 7      | वाहन बैठने की क्षमता   |  |
| 8      | आराम की श्रेणी   |  |
| 9      | मॉडल का वर्ष   |  |
| 10     | बस का निर्माण  |  |
| 11     | जीपीएस सक्षम   |  |

नोट- एसएल की हार्ड प्रति नंबर 1 से 6 संलग्न होना चाहिए।

घोषणा :

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैं/हम इस पत्र पर हस्ताक्षर करने से पहले यहां निहित नियमों और शर्तों को पढ़ और पूरी तरह से समझ चुके हैं और स्वयं को उनका पालन करने के लिए वचन देते हैं।

तिथि :

स्थान :

बिडर के हस्ताक्षर

नाम और पता (मुहर सहित)

फॉर्म-2

वित्तीय बिड

महानिदेशक, आईसीआईएसए, उत्तर प्रदेश नोएडा के कार्यालय के लिए बस किराए पर लेना।

|   |                           |
|---|---------------------------|
| वाहन का वर्ग [एसी के साथ]<br>(45 सीटर एसी बस 2*2)<br>(वॉल्वो) | आगरा भ्रमण के लिए शुल्क * |
|   |                           |

\*जीएसटी को शामिल करना

तिथि :

स्थान :

बिडर का स्थान हस्ताक्षर

नाम और पता (मुहर सहित)





# International Centre for Information Systems & Audit

International Training Centre of Comptroller & Auditor General Of India  
[www.cag.gov.in/icisa/en](http://www.cag.gov.in/icisa/en)

Tender Notice for hiring bus services on contract basis for use of iCISA, A-52, sector 62, institutional area, Phase-II, Noida-201309, Uttar Pradesh.

Ref: 34/CISA/Upgradation/2011-12 to 2016-17 /VOL.II /115

Date: 16-08-2024

Sealed lump sum tenders are hereby invited on behalf of Director General, iCISA, Noida from experienced firms:

| Name of the work   | Issue of Blank Tender Document               | Last Date of Tender Submission |
|--|--|--------------------------------|
| Supply of local bus services on contract basis for use of iCISA, Noida | From 16-08-2024 to 22-08-2024 up to 03.00 PM | 22-08-2024 up to 5.00 PM       |

1. Blank tender documents (non-transferable) for above work shall be issued from 16-08-2024 to 22-08-2024 on working days from the office of the Director General, ICISA, A-52, sector 62, Institutional area, Phase - 11, Noida-201309, Uttar Pradesh. The intending tenderers can also download the complete tender document available on the web site: [www.icisa.cag.gov.in](http://www.icisa.cag.gov.in) and submit the same along with the supporting documents, on or before the due date and time of submission.

2. Intending tenderers should have valid registration with appropriate authorities for statutory taxes as applicable.

3. The tender documents duly completed may be submitted at the office of the Director General, ICISA, A-52, sector 62, institutional area, Phase - II, Noida-201309, Uttar Pradesh till 22-08-2023 up to 5.00 PM. Technical bid of the parties shall be opened on 23-08-2024 at 11.00 AM. Financial evaluation will also be made on the same day i.e. 23-08-2024

4 Two bid system would be followed. Sealed bid containing two separate envelope for Technical and Financial bid may be submitted. The envelope may be superscribed as **Technical bid** and **Financial bid**.

5. The opening of the price bids of technically qualified parties shall be informed on 23-08-2024 ie. Financial evaluation will be done on 23-08-2024.

6. Canvassing, whether directly or indirectly in connection with tender is strictly prohibited and the tender submitted by the contractors who resort canvassing will be liable to be summarily rejected.

7. iCISA reserves the right to reject any or all the tenders without assigning any reason thereof and also not bound to accept lowest tender. Tenders in which any of the prescribed conditions are not fulfilled or found incomplete in any respect are liable to be rejected.

Yours faithfully

Sr. Administrative officer,  
iCISA, A-52, Sector 62,  
Institutional Area, Phase-II,  
Noida-201309, Uttar Pradesh.

Ref:- 34/iCISA/Upgradation/2011-12 to 2016-17/Vol.II

Dated 16-08-2024

M/s. ....

.....

.....

.....

**Sub: Hiring of bus on contract basis for use of iCISA, A-52, sector 62, Institutional Phase-II, Noida-201309, UP.**

Sir,

Tender document in respect of the above mentioned works are being forwarded herewith. Please note that tender is to be delivered in the office of the Director General, iCISA, A-52, sector 62, Institutional Area, Phase II, Noida -201309, Uttar Pradesh on or before 22-08-2024 up to 5.00 P.M.

The Tender should be signed on each page, dated and witnessed in all places provided for in the documents with all papers bearing initial of the authorized person.

The person, signing the tender on behalf of company/firm or on behalf of another person shall attach with tender a certified copy of proper authority/power of attorney on a non-judicial stamp paper of requisite value duly executed in his favour by such person, company/firm and must state specifically that he has authority to sign such tenders for and on behalf of such person or company/firm as the case may be, and in all matters pertaining to the contract.

This letter shall form part of the "CONTRACT" and must be signed and returned along with the tender documents.

Enclosed: Tender Notice along with T&C for Hiring of Bus Service.

Signature of the bidder

## Terms & Conditions for Hiring of Bus Service

### INTRODUCTION

iCISA, the buyer, intends to hire Bus services as per defined scope of work in this document. The services can be hired for the period from 01<sup>st</sup> September 2024 to 31<sup>st</sup> December 2024.

### SCOPE

Service provider shall render the services under the scope defined in this section. Accordingly, transport services on hiring basis are required for the following basis:

#### a. AGRA VISIT

| Bus to be hired  | Basic Service Particulars                                   |
|--|---|
| Requirement of 43-45 seater AC bus (Volvo) without toilet facility for outside NCR | All inclusive rates for<br>1. AGRA Visit ( same day return) |

### iCISA'S OBLIGATIONS

1. iCISA, the Buyer, shall notify service provider of any change in schedule of hired Bus. The notification shall be provided 12 hours prior to change.
2. iCISA shall either accept or reject or modify the logbook entries/bill within a maximum of 7 days after submission by service provider.

### SERVICE PROVIDER OBLIGATIONS

1. Service provider agrees to provide quality services as mentioned in this document.
2. Service provider shall ensure that assigned vehicle and driver report as per schedule provided by iCISA in an event of delay in arrival beyond 15 minutes, iCISA shall have right to hire other Bus services (which may or may not be of similar hired Bus category). The fare charges shall be charged to service provider.
3. Service provider agrees to terms and conditions of the contract and shall ensure full compliance to them.
4. Service provider to ensure that vehicle deployed shall arrive at designated location on time and with full tank of fuel.
5. Service provider should obtain all mandatory permission regulating the entry into city or cities, as the case may be.
- 6 In the event of any break down, servicing and repairs of vehicles, the service provider at his own cost shall make alternate arrangement by providing similar or higher class of vehicle(s) for which agreement is entered into. Failure to do so will evoke penalty or possible termination of contract.
7. The Service Provider shall not be allowed to sub-let the Contract. The Service Provider can act as an aggregator of vehicles/ individual drivers. However, it is the Service Provider who shall be responsible to the Buyer for the Contract being signed.

- 8 The Service Provider shall only provide vehicles which have the comprehensive insurance.
9. Valid pollution certificate should be obtained by the service provider from time to time.
10. Police verifications for deployed staff shall be ensured by service provider.
- 11 Service provider shall update the logbook immediately and submit the bill within 7 days of hiring of the vehicle. Failure to do so shall be penalized as per this contract.
12. The Handheld cordless microphones and also the music system installed in the Bus should be of good quality and in working condition.
13. Curtains should be installed on the windows of the Bus.
14. All attempts shall be made to provide quality services.

#### **SERVICE SPECIFIC TERMS AND CONDITIONS**

##### **Hiring of Transport Services**

1. Service provider selected as L1 by iCISA shall accept the order within 3 hours of the request for booking
2. **All distances shall be calculated from the reporting point. No payment shall be made for journey from garage to reporting point.**
3. **The bidder is required to quote the base rental amount which will be inclusive of GST.**
4. **Toll and Parking charges, if any, shall be paid by this office as per the actuals over and above the base rental amount.**
5. **State Taxes, if any, shall be borne by the service provider itself.**
6. Cancellation at a day's notice will not invite any charges payable to the service provider.
7. **Service provider understands that rates quoted by them are all inclusive rates encompassing all consumables and any other charges required to render services.**
8. The vehicle(s) provided by the service provider shall have valid Registration Certificate, full comprehensive insurance to cover third party and occupants, fitness certificate, PU permit etc. and any other relevant permits/licenses essentially required by the RTO and any other statutory bodies for commercial operations, and must be revalidated before the expiry of the due date during the tenure of the contract period

##### **VEHICLE**

| <b>Sl. No</b> | <b>Technical Criteria</b>   | <b>Requirement</b> |
|---------------|---|--------------------|
| 1             | Vehicle seating capacity  | 43-45              |
| 2             | Comfort Category  | AC                 |
| 3             | Year of Model   | 2019 Onward        |
| 4             | Make of Bus   | Volvo              |
|               | <b>Desirable criteria</b>   |                    |
| 1             | Bus should be GPS enabled and capable of being traced in real time manner | -                  |

## **DRIVER/STAFF DEPLOYED**

The service provider shall be responsible for the acts and deeds of drivers of the vehicles including following

1. The driver in no case shall report to duty in an inebriated state or consume alcohol while on duty. Such instances will be informed to law enforcement agencies and the agreement is liable to be terminated.
2. The drivers/staff of the vehicles deployed for user department duties maintain polite & courteous behaviour towards department users as well as to other departmental staff.
3. Driver must be provided a working mobile phone and contact number be provided to user department.
4. In an event that for any reasons the driver changes his contact number during the tenure of the contract then service provider will immediately notify the user department of the above change.
- 5 The driver shall always be reachable during duty hours.
6. Only drivers that possess a valid commercial driving license for heavy vehicles shall be deployed by service provider.
7. Driver should be properly dressed in a neat and clean attire.
8. Any complaint from the users/staff of the user department with respect to their behaviour/uniform will be viewed seriously and it will be brought to the notice of the service provider, who shall take suitable action
9. The driver should be familiar with the routes.
10. One helper/conductor must be deployed along with the driver.
11. Both the driver and conductor must have a valid photo identity proof like Aadhaar Card, Voter ID, Driving License etc.

## **STATUTORY LAW & REGULATIONS**

1. The service provider shall take comprehensive insurance cover with third party unlimited liability risk of the vehicles detailed for the user department requirement. User shall not be liable for any damages whatsoever to public property and /or any third person due to any accident arising out of and in the course of deployment of service provider's vehicle.
2. The service provider shall be solely responsible for any claims by any third party and/or employees of user department traveling in the vehicle for any injuries caused by the driver of the vehicle whether by accident or otherwise.
3. The user department will in no way be responsible for violation of traffic rules and /or infringement of any other law for the time being in force, either by the driver of the vehicle or by the service provider. The driver as well as service provider shall comply with relevant rules and regulations of Motor Vehicles Act and Rules applicable at present or in future during the tenure of the contract and as may be enforced from time to time for which user departments would not be held liable/responsible in any manner what-so-ever. Onus of compliance of all the applicable Laws/ Acts/Rules including those under Motor Vehicle Acts/Rules shall rest with the service provider only and user/user departments will not be liable in any manner.
4. The service provider shall be responsible for ensuring compliance with the provisions related to Labour Law (Central/State] and specially Minimum Wages Act, Payment of Wages Act, PF, ESI Act, Payment of Bonus Act, Contract Labour (R&A) Act, Workmen Compensation Act etc., as applicable from time to time. The employees of the service provider shall not be deemed to be employees of the user department hence the compliance of the applicable acts/laws will be the sole responsibility of the service provider.

5. The service provider shall be personally responsible for any theft, misconduct and/or disobedience on the part of drivers so provided by him.
6. During the contract period, if the vehicle is seized or detained or requisitioned by Police/Motor Vehicle Authority or any other authorities for whatsoever reasons that will be at the service provider's risk. Also, alternate vehicle of similar or higher category will be provided by Service provider without any extra charges
7. The Buses deployed for duty for the user department shall at no point of time carry any person other than personnel authorized by user department. The service provider has to ensure the safety of passengers by avoiding negligent driving by their drivers such as over speeding, rash driving, and driving vehicle without brakes/defective brakes.
8. Separate duty slip will be maintained for each vehicle, which will be signed by the authorized signatory of the user department. Before each Bus is allotted for duty, the odometer reading shall be noted down by the driver and subsequent entries for starting time/closing time, places visited etc. for each duty during office hours and after completion of duty, the driver shall again note down the odometer reading and get it checked and signed by the user of the vehicle deployed by the administration of the user department. Based on each vehicle's duty slip, the service provider shall prepare monthly bills enclosing therewith a consolidated statement of each vehicle's monthly running and original copies of duty slip.
9. The service provider shall provide at his own cost proper uniform and badges as per DELHI MOTOR VEHICLES RULES, 1993 (amended up to date) and photo identity cards to the drivers.
10. At the option of the Govt. user Service provider shall provide vehicle tracking system and will submit the record (data of journey including pickup time and drop time along with mileage). The mileage count will start from the location of pickup and no extra kilometres from the garage to the pickup point will be provided.
11. The service provider shall submit his monthly bills in triplicate towards the service rendered on the previous month to the user. Payment shall be affected by credit into the bank account of the service provider through ECS/RTGS within 3 weeks from the date of receipt of bills with supporting documents, complete in all respect. The service provider will have to intimate the bank account number, and other details of the bank to enable the user department to credit the payments directly into the account. User department shall pay the vendor all amounts on an invoice that are not the subject of a bona fide dispute within 3 weeks after department's receipt of a valid invoice that complies in all material respects in terms of this Agreement, the payment shall be subject to any deductions such as penalties, statutory deduction etc.

#### **TERMINATION OF SERVICES FOR CONVENIENCE**

1. Either parties, Buyer or Service Provider, may with their mutual consent can end this contract after providing 2 months prior notice to other party.
2. Termination of services for convenience of either parties will not attract any penalties or shall not be liable for any extra payments other than payment of invoices raised till the time of termination including notice period.

#### **PAYMENTS TERMS**

1. The payment shall be generally made to vendor within 15 working days of receipt of the bill.
2. The service provider understands that the rate quoted by him/her are inclusive of
  - a) Fuel costs
  - b) Night charges, in case of night services
  - c) Driver Charges, in case of stay is more than one day, if any.

**d) GST**

**e) State Tax, if any.**

Further, the following incidents will be considered as the breach of contract and will result in immediate termination of services

a) Invalid registration papers of vehicles deployed.

b) Operating vehicles without or expired comprehensive insurance coverage with unlimited liability of risk.

c) Tampering with odometer

d) Any attempt to forge service-related documentation

**End of Document**

**FORM-1**

**TECHNICAL BID**

**Bidder profile for providing services of Bus.**

| Sl. No. | Detail of Travel Agency  |  |
|---------|--|--|
| 1.      | Name of Travel Agency  |  |
| 2.      | Registration Number  |  |
| 3.      | PAN Number   |  |
| 4.      | GST Registration Number:   |  |
| 5.      | Address of the Traveler Agency at Noida<br>(along with phone/mobile number/email)                                    |  |
| 6.      | List of Clients (present and previous) i.e.<br>experience of the services in years given to<br>Govt./Semi Govt/PSU's |  |
| 7.      | Vehicle seating capacity   |  |
| 8.      | Comfort category   |  |
| 9.      | Year of Model  |  |
| 10.     | Make of Bus  |  |
| 11.     | GPS Enabled  |  |

Note- Hard copy of Sl. no.1 to 6 should be enclosed.

**Declaration:**

This is to certify that I/We before signing this letter have read and fully understood the terms and conditions contained herein and undertake myself/ourselves to abide by them

Date:

Place:

**Signature of the Bidder**

**Name and Address (with seal)**



**FORM-2**

**FINANCIAL BID**

Hiring of Bus for Office of the Director General , iCISA, UP.Noida.

| Class of Vehicle [with AC]<br>(45 seater AC Bus 2*2) (Volvo) | Rate for Agra visit in Rs.* |
|--|-----------------------------|
|  |                             |

\*inclusive of GST

Date:

Place:

**Signature of the Bidder**

**Name and Address (with seal)**